बिहार प्रशासनिक सेवा संघ

प्रशासनिक सेवा भवन, जवाहरलाल नेहरू मार्ग, पटना–800 001

(पंजीयन सं०–633/2003)

Website: basabihar.in , E-mail Id : infobasa1@gmail.com

अध्यक्ष,
*सुरेश कुमार शर्मा
मो० 9470003023/9431479774

महासचिव,
*सुशील कुमार
मो० 9431091417

उपाध्यक्ष :– * सआदत हसन मिन्टू
* राजेन्द्र राम

संयुक्त सचिवः – * राजयनन्द वार्डियार
* अनिल कुमार

कोषाध्यक्षः – * चन्द्र शेखर सिंह

संयुक्त कोषाध्यक्षः – * विनोद आनन्द

पत्रांक : 31 दिनांक 8/5/2015

सेवा में,

प्रधान सचिव,
सामान्य प्रशासन विभाग,
बिहार, पटना।

विषय :– काल्पनिक एवं भ्रामक प्रतिवेदन के आधार पर श्री प्रमोद कुमार, बिहार प्रशासनिक सेवा, कोटि क्रमांक–825/11 तत्कालीन जिला आपूर्त्ति पदाधिकारी, रोहतास सम्प्रति जिला आपूर्त्ति पदाधिकारी, सारण पर प्राथमिकी दर्ज करने की अनुमति प्राप्त करने के संबंध में।

महाशय,

जिला पदाधिकारी, रोहतास द्वारा अपने पत्रांक–2184/गो0 दिनांक 11.07.13 से सरकार को काल्पनिक एवं भ्रामक प्रतिवेदन दिया गया है कि **''रवि विपणन मौसम 2012–13 में मुख्य सचिव महोदय के द्वारा गेहूँ अधिप्राप्ति के कार्य को निर्वाचन के सदृश उच्च प्राथमिकता के आधार पर सम्पन्न किये जाने का निदेश दिया गया था, जिसके आलोक में श्री प्रमोद कुमार, जिला आपूर्त्ति पदाधिकारी, रोहतास को क्रय केन्द्र राजपुर का वरीय प्रभारी पदाधिकारी नियुक्त किया गया था। वरीय प्रभारी के रूप में अधोहस्ताक्षरी को क्रय केन्द्र राजपुर में अधिप्राप्ति प्रक्रिया के लिए सम्पूर्ण जबावदेह बनाया गया था तथा उन्हें अधिप्राप्ति कार्य पर नजदीकी निगरानी रखते हुए साप्ताहिक प्रतिवेदन समर्पित करने का निदेश भी दिया गया था, जिसकी समीक्षा प्रत्येक सोमवाद को जिला स्तरीय बैठकों में की जाती थी। साप्तहिक बैठकों में भी इन्हें अधिप्राप्वि कार्य का सतत् पर्यवेक्षण करने हेतु निदेशित किया जाता रहा। इसके अतिरिक्त राजपुर प्रखण्ड का वरीय प्रभारी पदाधिकारी होने के नाते भी अधिप्राप्ति प्रक्रिया का नियमित पर्यवेक्षण किया जाना श्री कुमार का दायित्व था। साथ ही प्रत्येक साप्ताहिक से संबधित कोई प्रतिकूल प्रतिवेदन समर्पित नहीं किया गया। वरीय प्रभारी होने के नाते इन्हें अधिप्राप्ति के प्रत्येक पहलु एवं प्रक्रिया पर निकटतम निगरानी रखनी थी क्रय केन्द्र पर इतनी बड़ी मात्रा में गेहूँ के गबन की जानकारी इन्हें नहीं थी, यह विश्वास से परे है। स्पष्ट है कि मामले की जानकारी रहने के बावजूद भी इनके द्वारा इसे अधोहस्ताक्षरी के संज्ञान में नहीं लाया गया। इस प्रकार इनके द्वारा कर्त्तव्य में घोर लापरवाही बरतने के साथ–साथ अधोहस्ताक्षश्री के निर्देशों की अवहेलना की गई जिससे इतने बड़े पैमाने पर गेहूँ का गबन हुआ। इस प्रकार गेहूँ के गबन में प्रथम द्रष्टया इनकी भी संलिप्तता स्पष्ट परिलक्षित होती है।''**

कृ0पृ0उ0

उपरोक्त तथ्यों के आलोक में उल्लेखनीय है कि गेहूँ अधिप्राप्ति 2012–13 के दौरान श्री कुमार दिनारा प्रखण्ड का प्रभारी पदाधिकारी था (जिला आदेश की छायाप्रति संलग्न) श्री कुमार गेहूँ अधिप्राप्ति वर्ष 2013–14 के समय राजपुर प्रखण्ड का प्रभारी पदाधिकारी था (जिला आदेश की छायाप्रति द्रष्टव्य) जिस अधिप्राप्ति वर्ष में श्री कुमार, प्रभारी पदाधिकारी था उस वर्ष पूरे जिले में गेहूँ का क्रय हुआ ही नहीं है (साक्ष्य की प्रति संलग्न)। जिला आदेश में जिले के सभी पदाधिकारियों के अधिप्राप्ति अवधि तक ही भूमिका निर्धारित है। स्पष्ट है कि श्री कुमार के विरूद्ध दुर्भावना वश सरकार को भ्रामक एवं काल्पनिक तथा साक्ष्यहीन प्रतिवेदन दिया गया है यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि श्री कुमार के विरूद्ध कुल आठ आरोप प्रपत्र–'क' के रूप में भेजा गया है। जिसमें साक्ष्य के रूप में भी गलत एवं भ्रामक दस्तावेज संलग्न है। श्री कुमार के द्वारा स्पष्ट और पठनीय प्रति के मांग सामान्य प्रशासन विभाग से किया है। जिसे उपलब्ध नहीं कराया गया है।

जिला पदाधिकारी, रोहतास के द्वारा श्री कुमार के विरूद्ध अपने पत्रांक–2183 दिनांक 11.07.2013 एवं स्मार 854 दिनांक 15.04.2015 द्वारा गेहूँ गायब होने में प्राथमिकी दर्ज करने की अनुमति की मांग की गई है। जो बिना किसी साक्ष्य के काल्पनिक एवं भ्रामक प्रतिवेदन के आधार पर सरकार को प्रतिवेदित किया गया है।

प्रभारी पदाधिकारी की हैसियत से श्री कुमार पर अगर प्राथमिकी दर्ज की जाती है तो जिला पदाधिकारी भी अपने दायित्व से कैसे बच सकते है।

बिहार प्रशासनिक सेवा संघ का अनुरोध है कि श्री कुमार पर प्राथमिकी दर्ज करने की अनुमति नहीं दी जाए।

अनुलग्नक :– यथोक्त।

विश्वाभाजन

(सुशील कुमार)
महासचिव

प्रेषक,

प्रमोद कुमार, बि0प्र0से0 (कोटि क्रमांक–825/11),
तत्कालीन जिला आपूर्त्ति पदाधिकारी, रोहतास,
सम्प्रति, जिला आपूर्त्ति पदाधिकारी, छपरा (सारण)।

सेवा में,

महासचिव बिहार प्रशासनिक सेवा,
पटना।

विषय :– काल्पनिक एवं भ्रामक प्रतिवेदन के आधार पर अनुशासनिक एवं प्राथमिकी दर्ज करने की अनुमति प्राप्त करने के संबंध में।

महाशय,

जिला पदाधिकारी, रोहतास द्वारा अपने पत्रांक–2184/गो0 दिनांक 11.07.13 से सरकार को काल्पनिक एवं भ्रामक प्रतिवेदन दिया गया है कि रवि विपणन मौसम 2012–13 में मुख्य सचिव महोदय के द्वारा गेहूँ अधिप्राप्ति के कार्य को निर्वाचन के सदृश उच्च प्राथमिकता के आधार पर सम्पन्न किये जाने का निदेश दिया गया था, जिसके आलोक में श्री प्रमोद कुमार, जिला आपूर्त्ति पदाधिकारी, रोहतास को क्रय केन्द्र राजपुर का वरीय प्रभारी पदाधिकारी नियुक्त किया गया था। वरीय प्रभारी के रूप में अधोहस्ताक्षरी को क्रय केन्द्र राजपुर में अधिप्राप्ति प्रक्रिया के लिए सम्पूर्ण जबावदेह बनाया गया था तथा उन्हें अधिप्राप्ति कार्य पर नजदीकी निगरानी रखते हुए साप्ताहिक प्रतिवेदन समर्पित करने का निदेश भी दिया गया था, जिसकी समीक्षा प्रत्येक सोमवाद को जिला स्तरीय बैठकों में की जाती थी। साप्तहिक बैठकों में भी इन्हें अधिप्राप्ति कार्य का सतत् पर्यवेक्षण करने हेतु निदेशित किया जाता रहा। इसके अतिरिक्त राजपुर प्रखण्ड का वरीय प्रभारी पदाधिकारी होने के नाते भी अधिप्राप्ति प्रक्रिया का नियमित पर्यवेक्षण किया जाना श्री कुमार का दायित्व था। साथ ही प्रत्येक साप्ताहिक से संबधित कोई प्रतिकूल प्रतिवेदन समर्पित नहीं किया गया। वरीय प्रभारी होने के नाते इन्हें अधिप्राप्ति के प्रत्येक पहलु एवं प्रक्रिया पर निकटतम निगरानी रखनी थी क्रय केन्द्र पर इतनी बड़ी मात्रा में गेहूँ के गबन की जानकारी इन्हें नहीं थी, यह विश्वास से परे है। स्पष्ट है कि मामले की जानकारी रहने के बावजूद भी इनके द्वारा इसे अधोहस्ताक्षरी के संज्ञान में नहीं लाया गया। इस प्रकार इनके द्वारा कर्त्तव्य में घोर लापरवाही बरतने के साथ–साथ अधोहस्ताक्षश्री के निर्देशों की अवहेलना की गई जिससे इतने बड़े पैमाने पर गेहूँ का गबन हुआ। इस प्रकार गेहूँ के गबन में प्रथम द्रष्टया इनकी भी संलिप्तता स्पष्ट परिलक्षित होती है।''

उपरोक्त तथ्यों के आलोक में उल्लेखनीय है कि गेहूँ अधिप्राप्ति 2012—13 के दौरान में दिनारा प्रखण्ड का प्रभारी पदाधिकारी था (जिला आदेश की छायाप्रति संलग्न) में गेहूँ अधिप्राप्ति वर्ष 2013—14 के समय राजपुर प्रखण्ड का प्रभारी पदाधिकारी था (जिला आदेश की छायाप्रति द्रष्टव्य) जिस अधिप्राप्ति वर्ष में मैं प्रभारी पदाधिकारी था उस वर्ष पूरे जिले में गेहूँ का क्रय हुआ ही नहीं है (साक्ष्य की प्रति संलग्न)। जिला आदेश में जिले के सभी पदाधिकारियों के अधिप्राप्ति अवधि तक ही भूमिका निर्धारित है। स्पष्ट है कि मेरे विरूद्ध दुर्भावना वश सरकार को भ्रामक एवं काल्पनिक तथा साक्ष्यहीन प्रतिवेदन दिया गया है यहाँ यह भी उल्लेख करना चाहूँगा कि मेरे विरूद्ध पूर्व से ही जिला पदाधिकारी द्वारा अनावश्यक स्पष्टीकरण पूछकर प्रताड़ित किया जाता रहा है। यहाँ तक की मेरे विरूद्ध कुल आठ आरोप प्रपत्र—'क' के रूप में भेजा गया है। जिसमें साक्ष्य के रूप में भी गलत एवं भ्रामक दस्तावेज संलग्न है। मैंने स्पष्ट और पठनीय प्रति के मांग सामान्य प्रशासन विभाग से किया है। जिसे उपलब्ध नहीं कराया गया है।

इसी प्रकार जिला पदाधिकारी द्वारा प्रताड़ना की प्रकाष्ठा यह है कि मेरे विरूद्ध अपने पत्रांक—2183 दिनांक 11.07.2013 एवं स्मार 854 दिनांक 15.04.2015 द्वारा गेहूँ गायब होने में प्राथमिकी दर्ज करने की अनुमति की मांग की गई है। स्पष्ट है कि जिला पदाधिकारी द्वारा बिना किसी साक्ष्य के काल्पनिक एवं भ्रामक प्रतिवेदन के आधार पर सरकार को प्रतिवेदित किया गया है।

ऐसे में श्रीमान् से अनुरोध है कि बिहार प्रशासनिक सेवा संघ अविलम्ब हस्तक्षेप कर मेरे विरूद्ध हो रहे अत्याचार के लिए आवश्यक एवं समुचित कार्रवाई करने की कृपा की जाए।

विश्वाभाजन

(प्रमोद कुमार)
तत्कालीन जिला आपूर्त्ति पदाधिकारी
रोहतास
सम्प्रति, जिला आपूर्त्ति पदाधिकारी,
छपरा (सारण)

रोहतास समाहरणालय, सासाराम।

(गोपनीय शाखा)

प्रेषक, पत्रांक 2184 / गो0,

संदीप कुमार आर. पुडकलकट्टी,भा0प्र0से0
जिलाधिकारी, रोहतास।

सेवा में,

प्रधान सचिव,
खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग,
बिहार, पटना।

सासाराम, दिनांक 11/7/13

विषयः– रब्बी विपणन मौसम 2012–13 के अन्तर्गत निगम के स्थापित क्रय केन्द्र, राजपुर गेहूँ गबन के मामले में श्री प्रमोद कुमार, जिला आपूर्ति पदाधिकारी, रोहतास के विरूद्ध विभागीय कार्रवाई करने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के आलोक में सादर सूचित करना है कि इस कार्यालय के आदेश ज्ञापांक–2038 / गो0, दिनांक 03.07.2013 के द्वारा रब्बी विपणन मौसम 2012–13 के अन्तर्गत निगम के स्थापित क्रय केन्द्र, राजपुर पर गेहूँ अधिप्राप्ति की जाँच श्री सलीम अख्तर, वरीय उप समाहर्ता, रोहतास एवं जिला प्रबंधक, बिहार राज्य खाद्य निगम, रोहतास के द्वारा संयुक्त रूप से की गई तथा अपने पत्रांक 347 / परि0, दिनांक 03.07.2013 के द्वारा यह सूचित करते हुए जाँच के दौरान क्रय केन्द्र बन्द था तथा क्रय केन्द्र प्रभारी को मोबाईल पर सूचना देने के बावजूद वे उपस्थित नहीं हुए, गोदाम के भौतिक सत्यापन हेतु दिशा निर्देश की मांग की गई।

तदुपरान्त इस कार्यालय के आदेश ज्ञापांक 2041 / गो0, दिनांक–03.07.2013 के द्वारा अनुमण्डल पदाधिकारी, बिक्रमगंज को दण्डाधिकारी की प्रतिनियुक्ति करते हुए गोदाम की इनवेन्ट्री तैयार करा कर वर्तमान क्रय केन्द्र प्रभारी श्री देवा नन्द कुमार, प्रखण्ड कृषि पदाधिकारी, राजपुर को उपलब्ध कराने का निदेश दिया गया, जिसके आलोक में अनुमण्डल पदाधिकारी के द्वारा अंचल अधिकारी, राजपुर को दण्डाधिकारी के रूप में प्रतिनियुक्त किया गया। प्रतिनियुक्त दण्डाधिकारी के द्वारा श्री देवा नन्द कुमार, प्रखण्ड कृषि पदाधिकारी, राजपुर–सह– वर्तमान क्रय केन्द्र प्रभारी, श्री चंदन कुमार, तकनीकी सहायक, श्री नागेन्द्र सिंह, किसान सलाहकार एवं अन्य की उपस्थिति में गोदाम का ताला तोड़कर इनवेन्ट्री तैयार की गई। तदनुसार संयुक्त जाँच दल के द्वारा गोदाम का भौतिक सत्यापन कर पत्रांक 1872 / एस0एफ0सी0, दिनांक 04.04.2013 के द्वारा जाँच प्रतिवेदन समर्पित किया गया है। प्रतिवेदन से स्पष्ट होता है कि क्रय केन्द्र, राजपुर मे 49106.00 क्विंटल गेहूँ क्रय किया गया, जिसमे से मात्र 25955.00 क्विंटल गेहूँ भारतीय खाद्य निगम के गोदाम मे हस्तातरित किया गया है। प्रतिवेदनानुसार गोदाम में 23151.00 क्विंटल गेहूँ अवशेष रहना चाहिए था, जबकि जाँच के समय मात्र 276.28 क्विंटल गेहूँ ही उपलब्ध पाया गया, जो मानक से निम्न स्तर का है। इस प्रकार गोदाम के भौतिक सत्यापन के क्रम में 22874.72 क्विंटल गेहूँ कम पाया गया, जिसकी कुल कीमत 1285.00 रूपये प्रति क्विंटल की [illegible] 2,93,94,015.20 रूपये (दो करोड़ तिरानबे लाख चौरानबे हजार पन्द्रह रूपये बीस पैसे) होता है। दिनांक 03.07.2013 को [illegible] होता है कि उनके द्वारा 22874.72 क्विंटल [illegible]

राजपुर की संलिप्तता के मद्देनजर उनके विरूद्ध प्राथमिकी दर्ज करने हेतु इस कार्यालय के पत्रांक 2180 / गो0, दिनांक 11.07.2013 के द्वारा जिला प्रबंधक, बिहार राज्य खाद्य निगम, रोहतास को निदेश दिया गया है।

उल्लेखनीय है कि मुख्य सचिव महोदय के द्वारा गेहूँ अधिप्राप्ति के कार्य को निर्वाचन के सदृश उच्च प्राथमिकता के आधार पर सम्पन्न किये जाने का निदेश दिया गया था, जिसक आलोक में श्री प्रमोद कुमार, जिला आपूर्ति पदाधिकारी,, रोहतास को क्रय केन्द्र राजपुर का वरीय प्रभारी पदाधिकारी नियुक्त किया गया था । वरीय प्रभारी के रूप में उन्हें क्रय केन्द्र राजपुर में अधिप्राप्ति प्रक्रिया के लिए सम्पूर्ण जवाबदेह बनाया गया था तथा उन्हें अधिप्राप्ति कार्य पर नजदीकी निगरानी रखते हुए साप्ताहिक प्रतिवेदन समर्पित करने का निदेश भी दिया गया था, जिसकी समीक्षा प्रत्येक सोमवार को जिला स्तरीय बैठकों में की जाती था। साप्ताहिक बैठकों में भी इन्हें अधिप्राप्ति कार्य का सतत् पर्यवेक्षण करने हेतु निदेशित किया जाता रहा। इसके अतिरिक्त राजपुर प्रखण्ड का वरीय प्रभारी पदाधिकारी होने के नाते भी अधिप्राप्ति प्रक्रिया का नियमित पर्यवेक्षण किया जाना श्री कुमार का दायित्व था। साथ ही प्रत्येक साप्ताहिक बैठक में इन्हें गेहूँ अधिप्राप्ति के संबंध में प्रतिवेदन समर्पित करना था, लेकिन इनके द्वारा कभी भी प्रखण्ड मे अधिप्राप्ति से संबंधित कोई प्रतिकूल प्रतिवेदन समर्पित नहीं किया गया। वरीय प्रभारी होने के नाते इन्हें अधिप्राप्ति के प्रत्येक पहलु एवं प्रक्रिया पर निकटतम निगरानी रखनी थी। क्रय केन्द्र पर इतनी बडी मात्रा में गेहूँ के गबन की जानकारी इन्हें नहीं थी, यह विश्वास से परे है । स्पष्ट है कि मामले की जानकारी रहने के बावजूद भी इनके द्वारा इसे अधोहस्ताक्षरी के संज्ञान में नहीं लाया गया। इस प्रकार इनके द्वारा कर्तव्य में घोर लापरवाही बरतने के साथ–साथ अधोहस्ताक्षरी के निर्देशों की अवहेलना की गई जिससे इतने बड़े पैमाने पर गेहूँ का गबन हुआ। इस प्रकार गेहूँ के गबन में प्रथम द्रष्टया इनकी भी संलिप्तता स्पष्ट परिलक्षित होती है।

उल्लेखनीय है कि पूर्व भी इनके विरूद्ध प्रपत्र– "क" में आरोप गठित कर इस कार्यालय के पत्रांक–1087 /गो0, दिनांक 18.04.2013 के द्वारा भवदीय को समर्पित करते हुए इनके विरूद्ध विभागीय कार्रवाई करने का अनुरोध किया गया था।

अतः अनुरोध है कि उपर्युक्त वर्णित परिस्थितयों में पुनः अनुरोध है कि श्री प्रमोद कुमार, जिला आपूर्ति पदाधिकारी, रोहतास के विरूद्ध विभागीय कार्रवाई करने की कृपा की जाय।

विश्वासभाजन

11.07.13

(संदीप कुमार आर. पुंडकलकट्टी)
जिलाधिकारी रोहतास।

समाहरणालय रोहतास, सासाराम
(आपूर्ति प्रशाखा)
आदेश

विकास आयुक्त, बिहार, पटना के पत्र संख्या 2331, दिनांक 13.04.12 से रबी विपणन मौसम 2012–13 के अन्तर्गत गेहूँ अधिप्राप्ति कार्य के लिए कार्ययोजना एवं निदेश प्राप्त हुआ है। पत्र द्वारा रबी विपणन मौसम 2012–13 में गेहूँ के रिकार्ड उत्पादन की आशा को देखते हुए राज्य को 15 लाख मे0टन गेहूँ की अधिप्राप्ति (न्यूनतम समर्थन मूल्य) का लक्ष्य निर्धारित किया है, जो गत वर्ष की उपलब्धि का तीन गुणा है। अधिप्राप्ति के लिए विशेष व्यवस्था करने का निदेश देते हुए अधिप्राप्ति के अभियान को निर्वाचन कार्य सदृश प्राथमिकता देने का निर्णय लिया गया। रबी विपणन मौसम 2012–13 के लिए भारत सरकार द्वारा गेहूँ के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य 1285/– रू0 प्रति क्वींटल निर्धारित किया गया। गेहूँ अधिप्राप्ति कार्यक्रम दिनांक 15.04.12 से 31.07.12 तक प्रभावी रहेगा।

इस वर्ष अधिप्राप्ति कार्य हेतु राज्य खाद्य निगम को नोडल एजेन्सी नियुक्त किया गया है। किसानों से गेहूँ क्रय की कार्रवाई मुख्यतः पैक्सों के माध्यम से की जानी है। वैसी पंचायतें जहाँ के पैक्स किसी कारणवश अधिप्राप्ति हेतु सक्षम नहीं है वैसी पंचायतों के किसानों से सीधे राज्य खाद्य निगम अपने क्रय केन्द्र के माध्यम से गेहूँ का क्रय करेगा, जिसके लिए राज्य खाद्य निगम अलग से क्रय केन्द्र खोलेगा। किसानों को एकाउन्ट पेयी चेक के माध्यम से अनिवार्य रूप से क्रय के तुरंत बाद भुगतान किया जायेगा। पैक्सों द्वारा किसानों से खरीद किये गये गेहूँ को राज्य खाद्य निगम के क्रय केन्द्रों एवं राज्य खाद्य निगम द्वारा चिन्हित बेस डिपों पर पहुँचाया जायेगा। पैक्सों द्वारा क्रय किये गये गेहूँ का इन्फोर्समेंट निर्गत करने हेतु सभी अंचलों के अंचलाधिकारियों को इन्फोर्समेंट पदाधिकारी के रूप में नामित किया जाता है।

लक्ष्य का निर्धारण

इस जिला के लिए गेहूँ अधिप्राप्ति का न्यूनतम लक्ष्य 150000 मे0टन निर्धारित किया गया है जिसका एजेन्सीवार लक्ष्य का निम्न रूपेण निर्धारित किया जाता है :–

1. राज्य खाद्य निगम–	50000 मे0टन
2. पैक्स–	100000 मे0टन
कुल	150000 मे0टन

जिला सहकारिता पदाधिकारी, रोहतास एवं जिला प्रबंधक, राज्य खाद्य निगम, रोहतास क्रमशः पैक्सों एवं राज्य खाद्य निगम के क्रय केन्द्रो का केन्द्रवार लक्ष्य अपने स्तर से निर्धारित करते हुए अधिप्राप्ति कार्य सम्पन्न करायेंगे।

क्रय केन्द्र का निर्धारण

इस जिले के सभी अधिकृत पैक्सों द्वारा किसानों से गेहूँ क्रय किया जायेगा। इसके अतिरिक्त राज्य खाद्य निगम के 27 क्रय केन्द्रों पर गेहूँ की अधिप्राप्ति की जायेगी। क्रय केन्द्रों तथा वहाँ प्रतिनियुक्त पदाधिकारी/कर्मियों की सूची आदेश के साथ संलग्न है। क्रय केन्द्र पर निम्नांकित तैयारी पूरी करने की व्यवस्था संबंधित पदाधिकारी सुनिश्चित करेंगे।

1. क्रय केन्द्र हेतु अनुमानित अधिप्राप्ति के आकलन के अनुरूप भंडारण की व्यवस्था।
2. माप तौल यंत्र की व्यवस्था।
3. Moisture meter की व्यवस्था।
4. पर्याप्त रोशनी/विद्युत की व्यवस्था।
5. पर्याप्त सुरक्षा की व्यवस्था।
6. विहित प्रक्रिया के अनुरूप रजिस्टरों का संधारण
7. भुगतान हेतु चेक बुक के साथ चेक निर्गत करने की व्यवस्था।
8. प्रतिदिन किये गये अधिप्राप्ति कार्यो हेतु निर्धारित प्रपत्र में संक्षिप्त विवरणी MS-Excel Kruti Dev-010 के माध्यम से प्रखंड कम्प्यूटर केन्द्र में भेजने की व्यवस्था।
9. पैक्स द्वारा स्थानीय क्रय केन्द्रों में किसानों की सूची तथा उनसे संबंधित दस्तावेजों (रसीद तथा फोटोयुक्त पहचान पत्र) का संधारण।
10. पैक्स द्वारा अभियान चलाकर मात्र अधिप्राप्ति हेतु अस्थायी सदस्यों का नामांकन।

राज्य खाद्य निगम के प्रत्येक क्रय केन्द्र पर संबंधित प्रखंड के वरीय प्रभारी पदाधिकारी, सहायक गोदाम प्रबंधक या पर्यवेक्षीय पदाधिकारी (अधिप्राप्ति प्रभारी),विषय वस्तु विशेषज्ञ, किसान सलाहकार, एक एकाउन्टेन्ट, कार्यपालक सहायक एवं एक हेल्पर की प्रतिनियुक्ति की गयी है। जिनका दायित्व निम्नरूपेण निर्धारित किया जाता है।

1. **विषय वस्तु विशेषज्ञ** :– विषय वस्तु विशेषज्ञ का यह दायित्व होगा कि वे क्रय केन्द्र पर निरीक्षण करेंगे एवं प्रतिदिन कार्यपालक सहायक के साथ किसानों से क्रय किये गये गेहूँ का डाटा अद्यतन कर प्रतिवेदित करेंगे।

2. **किसान सलाहकार** :– किसान सलाहकार का यह दायित्व होगा कि क्रय केन्द्र पर अधिक से अधिक किसान जा कर अपने गेहूँ को बेचें इसके लिए वे उत्प्रेरक का काम करेंगे एवं इसका व्यापक प्रचार प्रसार किसानों के बीच बैठक कर सुनिश्चित करेंगे।

3. कार्यपालक सहायक :– कार्यपालक सहायक का यह दायित्व होगा कि वे क्रय केन्द्र पर खरीद किये गये गेहूँ का विवरण लेकर निर्धारित प्रपत्र में उसे संकलित कर Internet के माध्यम से विभाग एवं जिला मुख्यालय को E-mail करेंगे।

4. लेखापाल :– क्रय केन्द्र पर प्रतिनियुक्त क्रय केन्द्र प्रभारी एवं प्रखंड के लेखापाल क्रय किये गये गेहूँ का संयुक्त रूप से हस्ताक्षरित चेक निर्गत करेंगे।

5. क्रय केन्द्र प्रभारी :– सभी क्रय केन्द्र प्रभारी क्रय केन्द्र पर उपलब्ध गोदाम की क्षमता के अनुसार किसानों एवं पैक्सों से गेहूँ क्रय करेंगे। सभी क्रय केन्द्र प्रभारी एक पंजी का संधारण करेंगे, जिसमें किस तिथि को किसान/पैक्स का गेहूँ क्रय करेंगे उसका विवरण अग्रिम रूप में हर हाल में संधारित करेंगे। साथ ही किसी भी परिस्थिति में बिना इन्फोर्समेन्ट आदेश के गेहूँ क्रय नहीं करेंगे। प्रत्येक दिन क्रय किये गये गेहूँ की मात्रा संबंधी प्रतिवेदन अपने–अपने अनुमंडल के अनुमंडल पदाधिकारी, जिला प्रबंधक, राज्य खाद्य निगम तथा जिला आपूर्ति पदाधिकारी, रोहतास, सासाराम को संध्या 06.00 बजे तक अनिवार्य रूप से उपलब्ध करायेंगे।

6. अंचल अधिकारी :– जिले के सभी अंचलाधिकारियों को गेहूँ अधिप्राप्ति के लिए इन्फोर्समेन्ट पदाधिकारी नामित किया गया है। अंचलाधिकारी इन्फोर्समेन्ट निर्गत करने से पूर्व सभी आवश्यक कागजात यथा किसानों की सूची, मुहरित भू–लगान रसीद, किसानों का पहचान पत्र, किसानों का निर्गत चेक की छाया प्रति एवं अधिप्राप्ति कार्य हेतु पैक्स/प्रबंधक द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र की जॉच करेंगे। इसके लिए वे अपने संबंधित राजस्व कर्मचारी/पदाधिकारी से सत्यापन करा सकते है। ध्यान रहे कि अंचलाधिकारी किसानों का **शत–प्रतिशत सत्यापन** कर एवं संतुष्ट होकर ही इन्फोर्समेन्ट निर्गत करेंगे। इसमें किसी प्रकार की लापरवाही एवं अनियमितता के लिए व्यक्तिगत तौर पर वे जिम्मेवार होंगे।

7. प्रखंड के वरीय पदाधिकारी/वरीय उप समाहर्त्ता :– राज्य खाद्य निगम के प्रत्येक क्रय केन्द्र पर वरीय प्रभारी पदाधिकारी की प्रतिनियुक्ति की गयी है। सभी वरीय पदाधिकारी अपने प्रखंड में गेहूँ अधिप्राप्ति हेतु जिम्मेवार होंगे। सभी वरीय पदाधिकारियों का दायित्व होगा कि प्रत्येक क्रय केन्द्र पर यथा राज्य खाद्य निगम एवं पैक्स के क्रय केन्द्रों पर प्रत्येक सप्ताह गेहूँ बेचने वाले कम से कम 25 किसानों का निश्चित रूप से भौतिक सत्यापन क्षेत्र में जाकर करेंगे। इसमें किसी भी प्रकार की अनियमितता पाने पर तत्काल इसकी सूचना अधोहस्ताक्षरी को देंगे। प्रखंड स्तर पर गेहूँ की सही एवं लक्षित अधिप्राप्ति की जिम्मेवारी वरीय प्रभारी पदाधिकारी की होगी। वरीय प्रभारी पदाधिकारी साप्ताहिक प्रतिवेदन अनिवार्य रूप से अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध करायेंगे तथा यह भी सुनिश्चित करेंगे कि उनके केन्द्र से दैनिक प्रतिवेदन अनिवार्यतः जिला आपूर्ति शाखा में प्राप्त हो।

8. अनुमंडल पदाधिकारी :– सभी अनुमंडल पदाधिकारी अपने अनुमंडल अन्तर्गत गेहूँ अधिप्राप्ति कार्य पर सतत् निगरानी रखेंगे, जिसके लिए अनुमंडल स्तर पर एक नियंत्रण कक्ष गठित कर एक कर्मी का प्रतिनियुक्ति करेंगे। प्रत्येक अनुमंडल पदाधिकारी का दायित्व होगा कि वे सप्ताह में कम से कम दो राज्य खाद्य निगम के क्रय केन्द्रों एवं पैक्स के दो केन्द्रों तथा उन पर गेहूँ बेचने वाले कम से कम 10–10 किसानों (अर्थात न्यूनतम 20 किसानों) का भौतिक सत्यापन निश्चित रूप से करेंगे, जिसका जॉच प्रतिवेदन प्रत्येक बुधवार एवं शनिवार को अधोहस्ताक्षरी को समर्पित करेंगे।

9. जिला प्रबंधक, राज्य खाद्य निगम :– इस वर्ष गेहूँ अधिप्राप्ति हेतु राज्य खाद्य निगम को नोडल एजेन्सी नियुक्त किया गया है। जिला प्रबंधक, राज्य खाद्य निगम का दायित्व होगा कि वे प्रत्येक दिन कम से कम 04 क्रय केन्द्रों का निरीक्षण करें। वे क्रय केन्द्र पर पैक्स एवं किसानों से सीधे क्रय किये गये गेहूँ की मात्रा, क्रय केन्द्र पर उपलब्ध गोदाम में खाद्यान्न की मात्रा एवं परिवहन की स्थिति इत्यादि का अपने जॉच प्रतिवेदन में उल्लेख करेंगे। उपर्युक्त दिशा निर्देश केवल जॉच हेतु दिये जा रहे है। यहॉ यह स्पष्ट करना आवश्यक है कि **जिला प्रबंधक, राज्य खाद्य निगम अपने सभी क्रय केन्द्रों पर गेहूँ की सही अधिप्राप्ति हेतु सीधे तौर पर जिम्मेवार होंगे**। उनका यह भी कर्त्तव्य होगा कि वे प्रत्येक दिन अपने सभी क्रय केन्द्र प्रभारियों से सम्पर्क कर गेहूँ अधिप्राप्ति की समीक्षा करेंगे तथा किसी भी अड़चन/बाधा को तत्काल दूर करेंगे तथा यदि अनियमितता पायी जाती है तो अनियमितता के लिए दोषी पदाधिकारी/कर्मचारी चिन्हित कर समुचित अग्रेतर कार्रवाई करेंगे। उपर्युक्त निरीक्षण के अतिरिक्त वे अपने स्वविवेक से सम्यक निरीक्षण एवं समीक्षा आदि करेंगे तथा यह सुनिश्चित करेंगे कि हर हालत में गेहूँ की अधिप्राप्ति सही तरीके से एवं वास्तविक किसानों से ही हो। साथ ही वे यह भी सुनिश्चित करेंगे कि प्रतिदिन की अधिप्राप्ति का प्रतिवेदन नियमित रूप से जिला आपूर्ति कार्यालय में स्थित नियंत्रण कक्ष में भेज दिया जाय।

10. जिला सहकारिता पदाधिकारी/सहायक निबंधक सहयोग समितियॉ :– जिला सहकारिता पदाधिकारी तथा सहायक निबंधक सहयोग समितियाँ का यह दायित्व होगा कि वे प्रत्येक दिन कम से कम दो पैक्सों का निरीक्षण करेंगे। वे किसानों से क्रय की गयी गेहूँ की मात्रा एवं राज्य खाद्य निगम को आपूर्ति की गयी गेहूँ की मात्रा तथा किसानों के भुगतान की स्थिति का निश्चित रूप से उल्लेख करेंगे। उपर्युक्त निदेश केवल निरीक्षण के उद्देश्य से दिये जा रहे है, परंतु इसके अतिरिक्त जिला सहकारिता पदाधिकारी पैक्सों द्वारा अधिप्राप्त किये जा रहे गेहूँ के क्रय में किसी प्रकार की अनियमितता के लिए व्यक्तिगत रूप से जिम्मेवार होंगे। उनका यह दायित्व होगा कि वे जिले के सभी पैक्सों की अधिप्राप्ति प्रक्रिया की नियमित समीक्षा करें तथा जिला प्रबंधक, राज्य खाद्य निगम एवं जिला आपूर्ति पदाधिकारी से समन्वय स्थापित कर पैक्सों के समक्ष आने वाली समस्याओं का समाधान करायें। वे पैक्सों द्वारा किसानों से सीधे किये जा रहे गेहूँ क्रय पर सतत निगरानी रखेंगे तथा हर हालत में विभागीय निदेशों के अनुरूप सही अधिप्राप्ति सुनिश्चित करायेंगे। वे यह भी

सुनिश्चित करायेंगे कि पैक्स द्वारा किसानों को एकाउन्ट पेयी चेक के माध्यम से तत्काल भुगतान कर दिया जाय।

11. जिला आपूर्ति पदाधिकारी :– जिला आपूर्ति पदाधिकारी गेहूँ अधिप्राप्ति हेतु नोडल पदाधिकारी के रूप में कार्य करेंगे। वे अपने कार्यालय कक्ष में नियंत्रण कक्ष को संचालित रखेंगे, जिसका दूरभाष संख्या 222016 है। वे नियंत्रण कक्ष में एक कर्मी की प्रतिनियुक्ति सुनिश्चित करेंगे। उनका यह दायित्व होगा कि विभाग से प्राप्त दिशा–निर्देशों को सभी संबंधित एजेन्सी/पदाधिकारी को अवगत करायेंगे तथा सभी अनुमंडल पदाधिकार/प्रखंडों के वरीय पदाधिकारी से प्राप्त प्रतिवेदनों को प्रखंडवार अलग–अलग संचिका में संधारित करेंगे तथा प्रतिवेदन से अधोहस्ताक्षरी को प्रतिदिन अवगत करायेंगे। जिला आपूर्ति पदाधिकारी प्रत्येक दिन कम से कम एक क्रय केन्द्र की जॉच स्वयं करेंगे। साथ ही जिला आपूर्ति पदाधिकारी अधिप्राप्ति कार्य में संलग्न पैक्सों, जिला प्रबंधक, राज्य खाद्य निगम तथा अन्य पर्यवेक्षकीय पदाधिकारियों से प्रतिदिन प्रतिवेदन प्राप्त करेंगे तथा विभागीय निर्धारित प्रपत्र में प्रतिवेदन तैयार कर विभाग को भेजना सुनिश्चित करेंगे। इसके अतिरिक्त अधोहस्ताक्षरी द्वारा दिये गये निदेशों के अनुसार वे प्रतिदिन 07.00 बजे संध्या तक प्रतिवेदन अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध कराना सुनिश्चि करेंगे। इसके अतिरिक्त वे पूरे जिले में चल रही गेहूँ अधिप्राप्ति प्रक्रिया पर सतत् निगरानी रखेंगे तथा पैक्स प्रबंधकों, जिला सहकारिता पदाधिकारी, गोदाम प्रभारी, जिला प्रबंधक, राज्य खाद्य निगम, एम0डी0 सासाराम भभुआ सेन्ट्रल को ऑपरेटिव बैंक तथा अन्य संबंधित पर्यवेक्षकीय से निरन्तर सम्पर्क बनाये रखेंगे तथा सभी एजेन्सियों से समन्वय बनाते हुए गेहूँ अधिप्राप्ति सुनिश्चित करायेंगे तथा यह भी सुनिश्चित करायेंगे कि निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप गेहूँ की अधिप्राप्ति उचित ढ़ंग एवं तीव्रगति से हो, ताकि जिले द्वारा निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके। यदि उनके द्वारा किसी तरह की समस्या पायी जाती है तो वे तत्काल अधोहस्ताक्षरी को अवगत करायेंगे ताकि ससमय समस्या को दूर किया जा सके। इसके अतिरिक्त वे समय–समय पर निर्गत अन्य विभागीय निर्देशों को दृढ़ता पूर्वक अनुपालन सुनिश्चित करायेंगे।

12. अवकाश पर प्रतिबंध :– अधिप्राप्ति की अवधि में इस कार्य में लगे पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों को अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा। अत्यन्त आवश्यक होने पर अधोहस्ताक्षरी से पूर्वानुमति प्राप्त कर ही अवकाश पर प्रस्थान किया जा सकेगा।

सभी संबंधित पदाधिकारियों/कर्मियों को आदेश दिया जाता है कि अविलम्ब संलग्न सूची में क्रय केन्द्रों पर गेहूँ की अधिप्राप्ति कार्य प्रारंभ कराना सुनिश्चित करेंगे। **चूँकि सरकार का यह महत्वाकांक्षी कार्यक्रम है एवं राज्य सरकार गेहूँ अधिप्राप्ति कार्यक्रम को सघन अभियान के रूप में संचालित करने तथा किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य उपलब्ध कराने हेतु संकल्पित है अतः इसे सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाय**

एवं ऐसी व्यवस्था की जाय कि जिले के सभी किसानों को बिना किसी कठिनाई के न्यूनतम समर्थन मूल्य का लाभ क्रय के तुरंत बाद मिल सके एवं उन्हे अपने अनाज की आलात बिक्री (**distress sale**) की स्थिति का सामना नहीं करना पड़े। इसमें किसी भी स्तर पर कोई भी लापरवाही एवं शिथिलता को गंभीरता से लिया जायेगा।

ह0/–
जिला पदाधिकारी,
रोहतास, सासाराम।

ज्ञापांक......................../आ0, दिनांक..........................

प्रतिलिपि :– क्षेत्र प्रबंधक, भारतीय खाद्य निगम, गया/जिला प्रबंधक, राज्य खाद्य निगम, रोहतास/जिला सहकारिता पदाधिकारी, रोहतास/जिला कृषि पदाधिकारी, रोहतास को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– उप विकास आयुक्त, रोहतास/अनुमंडल पदाधिकारी, सासाराम/बिक्रमगंज/डिहरी/सभी प्रखंडों के वरीय प्रभारी पदाधिकारी/सभी अंचलाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– प्रतिनियुक्त सभी सहायक गोदाम प्रबंधक/पर्यवेक्षी पदाधिकारी/विषय वस्तु विशेषज्ञ/किसान सलाहकार/प्रधान लिपिक/कार्यपालक सहायक को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

ह0/–
जिला पदाधिकारी,
रोहतास, सासाराम।

ज्ञापांक ......688....../आ0, दिनांक .....27/4/12.....

प्रतिलिपि विकास आयुक्त, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि प्रधान सचिव, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

25.4.12

जिला पदाधिकारी,
रोहतास, सासाराम।

राज्य खाद्य निगम के क्रय केन्द्र एवं सम्बद्ध पदाधिकारी/कर्मी की सूचीः–

क्र0सं0	क्रय केन्द्र का नाम	सम्बद्ध पदाधिकारी एवं कर्मचारी का नाम	मोबाईल नं0
1	2	3	4
1	प्रखंड गोदाम, सासाराम एवं अधीन अस्थायी गोदाम	1. श्री अनिल कुमार सिन्हा, अनुमंडल पदाधिकारी, सासाराम, वरीय प्रभारी पदा0, सासाराम प्रखंड	9473191223
		2. श्री नागेन्द्र प्रसाद सिंह, सहायक प्रबंधक, एस0एफ0सी0, (क्रय केन्द्र प्रभारी)	7739007500
		3 श्री दीपक कुमार सिंह, विषय वस्तु विशेषज्ञ	
		4. श्री विन्ध्याचल सिंह, किसान सलाहकार	
		5. प्रधान लिपिक, प्रखंड कार्यालय, सासाराम।	
		6. कार्यपालक सहायक	
		7. हेल्पर चार माह के लिए दैनिक वेतन पर	
2	पानी रौजा गोदाम सासाराम एवं अस्थाई गोदाम	1. अनिल कुमार सिन्हा, अनुमंडल पदाधिकारी, सासाराम, वरीय प्रभारी पदा0, सासाराम प्रखंड	9473191223
		2. श्री नागेन्द्र प्रसाद सिंह सहा० प्रबंधक, एस0एफ0सी0 (क्रय केन्द्र प्रभारी)	7739007500
		3 श्री जितेन्द्र कुमार सिंह, विषय वस्तु विशेषज्ञ	
		4. श्री रोहित कुमार, किसान सलाहकार	
		5. प्रधान लिपिक, अंचल कार्यालय, सासाराम।	
		6. कार्यपालक सहायक	
		7. हेल्पर चार माह के लिए दैनिक वेतन पर	
3	चेनारी गोदाम एवं अस्थाई गोदाम	1. श्री अविनाश कुमार सिंह, वरीय उप समाहर्त्ता, रोहतास, वरीय प्रभारी पदा0, चेनारी प्रखंड	9931034878
		2. श्री दिलीप कुमार, प्रखण्ड सांख्यिकी पदा० करगहर (क्रय केन्द्र प्रभारी)	9097571640
		3 श्री अरबिन्द सिंह, विषय वस्तु विशेषज्ञ	
		4. श्री रंग लाल पाल, किसान सलाहकार	
		5. प्रधान लिपिक, चेनारी प्रखंड	
		6. कार्यपालक सहायक	
		7. हेल्पर चार माह के लिए दैनिक वेतन पर	

1	क्रय केन्द्र का नाम	सम्बद्ध पदाधिक.ारी एवं कर्मचारी का नाम	मोबाईल नं0
1	2	3	4
4	करगहर	1. श्री रमेन्द्र कुमार, वरीय उप समाहर्त्ता, रोहतास,, वरीय प्रभारी पदा0, करगहर प्रखंड	9771648636
		2. श्री विनय सिंह, प्र0कृषि पदा0, शिवसागर (क्रय केन्द्र प्रभारी)	
		3 श्री संतोष कुमार, विषय वस्तु विशेषज्ञ	
		4. श्री अरुण कुमार, किसान सलाहकार	
		5. प्रधान लिपिक, करगहर प्रखंड	
		6. कार्यपालक सहायक	
		7. हेल्पर चार माह के लिए दैनिक वेतन पर	
5	कोचस (किसान)	1. श्री शिव कुमार शैव, वरीय उप समाहर्त्ता, रोहतास, वरीय प्रभारी पदा0, कोचस प्रखंड	9431209716
		2. श्री मनोज कुमार अग्रवाल, प्र0 कल्याण पदा0, शिवसागर (क्रय केन्द्र प्रभारी)	9934020632
		3 श्री अरुण कुमार, विषय वस्तु विशेषज्ञ	
		4. संतोष कुमार, किसान सलाहकार	
		5. प्रधान लिपिक, प्रखंड कार्यालय, कोचस	
		6. कार्यपालक सहायक	
		7. हेल्पर चार माह के लिए दैनिक वेतन पर	
6	सैलास (पैक्स)	1. श्री शिव कुमार शैव, वरीय उप समाहर्त्ता, रोहतास, वरीय प्रभारी पदा0, कोचस प्रखंड	9431209716
		2. श्री ब्रजेन्द्र सिंह, प्रखण्ड सांख्यिकी पदा०, सासाराम (क्रय केन्द्र प्रभारी)	9835256569
		3 श्री नवनीत कुमार, विषय वस्तु विशेषज्ञ	
		4. श्री अजित कुमार, किसान सलाहकार	
		5. प्रधान लिपिक, अंचल कार्यालय, कोचस।	
		6. कार्यपालक सहायक	
		7. हेल्पर चार माह के लिए दैनिक वेतन पर	

क्र0	क्रय केन्द्र का नाम	सम्बद्ध पदाधिकारी एवं कर्मचारी का नाम	मोबाईल नं0
1	2	3	4
7	नोखा	1. श्री ब्रज किशोर चौधरी, भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, सासाराम, वरीय प्रभारी पदा0, नोखा प्रखंड	9934833797
		2. श्री शिवशंकर सिंह, प्र0सांख्यिकी पर्य0, नोखा (क्रय केन्द्र प्रभारी)	9234764481
		3 श्री रत्नेश कुमार, विषय वस्तु विशेषज्ञ	
		4. श्री महेन्द्र सिंह, किसान सलाहकार	
		5. प्रधान लिपिक, प्रखंड कार्यालय, नोखा	
		6. कार्यपालक सहायक	
		7. हेल्पर चार माह के लिए दैनिक वेतन पर	
8	शिवसागर	1. श्री पंकज कुमार, निदेशक,ले0प्र0एवं स्व नियोजन, रोहतास, वरीय प्रभारी पदा0, शिवसागर प्रखंड	9431818406
		2. श्री ज्वाला राम, प्र0सांख्यिकी पर्य0, शिवसागर (क्रय केन्द्र प्रभारी)	7250684430
		3 श्री अनिल कुमार सिंह, विषय वस्तु विशेषज्ञ	
		4. श्री भूपेन्द्र सिंह, किसान सलाहकार	
		5. प्रधान लिपिक, प्रखंड कार्यालय, शिवसागर	
		6. कार्यपालक सहायक	
		7. हेल्पर चार माह के लिए दैनिक वेतन पर	
9	रायपुर चोर (शिवसागर)	1. श्री पंकज कुमार, निदेशक,ले0प्र0एवं स्व नियोजन, रोहतास, वरीय प्रभारी पदा0, शिवसागर प्रखंड	
		2. श्री ज्वाला राम, प्र0सांख्यिकी पर्य0, शिवसागर (क्रय केन्द्र प्रभारी)	
		3. बसंत कुमार सिंह, विषय वस्तु विशेषज्ञ, सोनहर।	
		4. अमित कुमार सिंह, किसान सलाहकार, कोनार।	
		5. प्रधान लिपिक, अंचल कार्यालय, शिवसागर।	
		6. कार्यपालक सहायक	
		7. हेल्पर चार माह के लिए दैनिक वेतन पर	
10	बिक्रमगंज (पैक्स)	1. श्री राजेश कुमार, अनु0पदा0, बिक्रमगंज, वरीय प्रभारी पदा0, बिक्रमगंज प्रखंड	9473191224
		2. श्री शकील अहमद, प्र0सहकारिता पदा0, काराकाट (क्रय केन्द्र प्रभारी)	
		3 श्री प्रभाकर श्रीवास्तव किसान सलाहकार	
		4. श्री भानू प्रताप सिंह, किसान सलाहकार	
		5. प्रधान लिपिक, प्रखंड कार्यालय, बिक्रमगंज	
		6. कार्यपालक सहायक	
		7. हेल्पर चार माह के लिए दैनिक वेतन पर	

	क्रय केन्द्र का नाम	सम्बद्ध पदाधिकारी एवं कर्मचारी का नाम	मोबाईल नं0
	2	3	4
11	बिक्रमगंज (किसान)	1. श्री राजेश कुमार, अनु0पदा0, बिक्रमगंज, वरीय प्रभारी पदा0, बिक्रमगंज	9473191224
		2. श्री ललन प्रसाद शर्मा, प्र0साख्यिकी पदा0, बिक्रमगंज (क्रय केन्द्र प्रभारी)	
		3. श्री कृष्ण कुमार सिंह, विषय वस्तु विशेषज्ञ	
		4. श्री ललन प्रसाद सिंह, किसान सलाहकार	
		5. प्रधान लिपिक, अंचल कार्यालय, बिक्रमगंज	
		6. कार्यपालक सहायक	
		7. हेल्पर चार माह के लिए दैनिक वेतन पर	
12	नासरीगंज (पैक्स)	1. श्री अजीत कुमार, भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, बिक्रमगंज, वरीय प्रभारी पदा0, नासरीगंज प्रखंड	9931630747
		2. श्री दीपक कुमार, श्रम प्रवर्तन पदा0, नासरीगंज (क्रय केन्द्र प्रभारी)	9430262744
		3. ब्रजेश कुमार सिंह, विषय वस्तु विशेषज्ञ	
		4. श्री सुनील कुमार, किसान सलाहकार	
		5. प्रधान लिपिक, प्रखंड कार्यालय, नासरीगंज	
		6. कार्यपालक सहायक	
		7. हेल्पर चार माह के लिए दैनिक वेतन पर	
13	नासरीगंज (किसान)	1. श्री अजीत कुमार, भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, बिक्रमगंज, वरीय प्रभारी पदा0, नासरीगंज प्रखंड	9931630747
		2. श्री मनोज कुमार, प्र0सांख्यिकी पर्यवेक्षक, नासरीगंज (क्रय केन्द्र प्रभारी)	
		3. श्री कमलेश कुमार सिंह, विषय वस्तु विशेषज्ञ	
		4. श्री अरूण कुमार सिंह, किसान सलाहकार	
		5. प्रधान लिपिक, अंचल कार्यालय, नासरीगंज	
		6. कार्यपालक सहायक	
		7. हेल्पर चार माह के लिए दैनिक वेतन पर	
14	राजपुर	1. श्री अरूण कुमार झा, जिला भू–अर्जन पदा0, रोहतास, सासाराम, वरीय प्रभारी पदा0, राजपुर प्रखंड	9431687467
		2. विरेन्द्र कुमार सिंह, सहायक प्रबंधक (क्रय केन्द्र प्रभारी)	9430525549
		3 श्री शारदानन्द सिंह, विषय वस्तु विशेषज्ञ	
		4. श्री नागेन्द्र सिंह, किसान सलाहकार	
		5. प्रधान लिपिक, प्रखंड कार्यालय, नासरीगंज	
		6. कार्यपालक सहायक	
		7. हेल्पर चार माह के लिए दैनिक वेतन पर	

क्र0	क्रय केन्द्र का नाम	सम्बद्ध पदाधिकारी एवं कर्मचारी का नाम	मोबाईल नं0
1	2	3	4
15	काराकाट (पैक्स)	1. जिला परिवहन पदा0, रोहतास, सासाराम, वरीय प्रभारी पदा0, काराकाट प्रखंड	9431268011
		2. श्री सत्येन्द्र कुमार सिंह, प्र0सांख्यिकी पर्यवेक्षक, काराकाट (क्रय केन्द्र प्रभारी)	
		3 श्री जालंधर सिंह, विषय वस्तु विशेषज्ञ	
		4. श्री मिथलेश सिंह, किसान सलाहकार	
		5. प्रधान लिपिक, प्रखंड कार्यालय, काराकाट	
		6. कार्यपालक सहायक	
		7. हेल्पर चार माह के लिए दैनिक वेतन पर	
16	काराकाट (किसान)	1. जिला परिवहन पदा0, रोहतास, सासाराम, वरीय प्रभारी पदा0, काराकाट प्रखंड	9431268011
		2. श्री अवधेश राम, प्रसार पदा0, काराकाट (क्रय केन्द्र प्रभारी)	
		3. श्री ककलेश सिंह, विषय वस्तु विशेषज्ञ, काराकाट	
		4. श्री अजय कुमार चौधरी, किसान सलाहकार	
		5. प्रधान लिपिक, अंचल कार्यालय, काराकाट	
		6. कार्यपालक सहायक	
		7. हेल्पर चार माह के लिए दैनिक वेतन पर	
17	संझौली	1. श्री शिवरंजन, वरीय उप समाहर्त्ता, रोहतास, वरीय प्रभारी पदा0, संझौली प्रखंड	9334107090
		2. श्री संजीव कुमार सोनु, प्र0सांख्यिकी पर्यवेक्षक, राजपुर (क्रय केन्द्र प्रभारी)	
		3. श्री ललन प्रसाद सिंह, प्रभारी अंचल निरीक्षक, संझौली	
		4. श्री हरिद्वार सिंह, किसान सलाहकार	
		5. प्रधान लिपिक, प्रखंड कार्यालय, संझौली	
		6. कार्यपालक सहायक	
		7. हेल्पर चार माह के लिए दैनिक वेतन पर	
18	दावथ	1. श्री शैलेन्द्र कुमार भारती, वरीय उप समाहर्त्ता, रोहतास, वरीय प्रभारी पदा0, दावथ प्रखंड	9431632829
		2. श्री कृष्ण कुमार सिंह, सहायक प्रबंधक (क्रय केन्द्र प्रभारी)	8757556175
		3 श्री मनीष कुमार, विषय वस्तु विशेषज्ञ	
		4. श्री अरविन्द कुमार सिंह, किसान सलाहकार	
		5. प्रधान लिपिक, प्रखंड कार्यालय, दावथ	
		6. कार्यपालक सहायक	
		7. हेल्पर चार माह के लिए दैनिक वेतन पर	

क्र0	क्रय केन्द्र का नाम	सम्बद्ध पदाधिकारी एवं कर्मचारी का नाम	मोबाईल नं0
1	2	3	4
19	बेलवईया	1. श्री प्रमोद कुमार, जिला आपूर्ति पदा0, रोहतास, सासाराम, वरीय प्रभारी पदा0, दिनारा प्रखंड	9771345870
		2. श्री जयचन्द्र प्रसाद, प्र0सांख्यिकी पदा0, दिनारा (क्रय केन्द्र प्रभारी)	9572300881
		3 श्री रंजीत कुमार, विषय वस्तु विशेषज्ञ	
		4. श्री सुमंता कुमार, किसान सलाहकार	
		5. प्रधान लिपिक, अंचल कार्यालय, दिनारा	
		6. कार्यपालक सहायक	
		7. हेल्पर चार माह के लिए दैनिक वेतन पर	
20	दिनारा	1. श्री प्रमोद कुमार, जिला आपूर्ति पदा0, रोहतास, सासाराम, वरीय प्रभारी पदा0, दिनारा प्रखंड	(9572300881)
		2. श्री संजय कुमार, प्र0कृषि पदा0, दिनारा (क्रय केन्द्र प्रभारी)	
		3 श्री मनोज कुमार सिंह, विषय वस्तु विशेषज्ञ	
		4. श्री हरि मुनि चौधरी, किसान सलाहकार	
		5. प्रधान लिपिक, बाल विकास परियोजना कार्यालय, दिनारा	
		6. कार्यपालक सहायक	
		7. हेल्पर चार माह के लिए दैनिक वेतन पर	
21	नटवार	1. श्री प्रमोद कुमार, जिला आपूर्ति पदा0, रोहतास, सासाराम, वरीय प्रभारी	9771345870
		2. श्री सुर्य कुमार साह, प्र0प्रसार पद0, दिनारा (क्रय केन्द्र प्रभारी)	9431410657
		3 श्री मनोज कुमार, विषय वस्तु विशेषज्ञ	
		4. श्री अरविन्द कुमार, किसान सलाहकार	
		5. प्रधान लिपिक, प्रखंड कार्यालय, दिनारा	
		6. कार्यपालक सहायक	
		7. हेल्पर चार माह के लिए दैनिक वेतन पर	
22	सूर्यपुरा	1. श्री जावेद अहसन अंसारी, वरीय उप समाहर्त्ता, रोहतास, वरीय प्रभारी पदा0, सूर्यपुरा प्रखंड	9431473267
		2. श्री योगेन्द्र प्रधान, प्र0 सहकारिता पदा0, बिक्रमगंज (क्रय केन्द्र प्रभारी)	
		3 श्री अखिलेश कुमार सिंह, विषय वस्तु विशेषज्ञ	
		4. श्री संजय कुमार सिंह, किसान सलाहकार	
		5. प्रधान लिपिक, प्रखंड कार्यालय, सूर्यपुरा	
		6. कार्यपालक सहायक	
		7. हेल्पर चार माह के लिए दैनिक वेतन पर	

क्रसं0	क्रय केन्द्र का नाम	सम्बद्ध पदाधिकारी एवं कर्मचारी का नाम	मोबाईल नं0
1	2	3	4
23	डिहरी एवं अस्थाई गोदाम	1. श्री खुर्शीद अनवर सिद्धकी, अनु0पदा0, डिहरी, वरीय प्रभारी पदा0, डिहरी प्रखंड	9473191225
		2. श्री कान्तेय कुमार सिंह, सहायक प्रबंधक, एस0एफ0सी0 (क्रय केन्द्र प्रभारी)	9431434030
		3 श्री ललित मोहन सिंह, विषय वस्तु विशेषज्ञ	
		4. श्री हरेन्द्र सिंह, किसान सलाहकार	
		5. प्रधान लिपिक, प्रखंड कार्यालय, डिहरी	
		6. कार्यपालक सहायक	
		7. हेल्पर चार माह के लिए दैनिक वेतन पर	
24	रोहतास गोदाम	1. श्री कृत्यानंद रंजन, भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, डिहरी, वरीय प्रभारी पदा0, रोहतास प्रखंड	9431272200
		2. श्री दुर्गेश कुमार, प्र0सांख्यिकी पर्य0, रोहतास (क्रय केन्द्र प्रभारी)	
		3 श्री बीर बहादुर सिंह, विषय वस्तु विशेषज्ञ	
		4. श्री परशुराम ठाकुर, किसान सलाहकार	
		5. प्रधान लिपिक, प्रखंड कार्यालय, रोहतास	
		6. कार्यपालक सहायक	
		7. हेल्पर चार माह के लिए दैनिक वेतन पर	
25	अकोढ़ी गोला	1. श्री नंद किशोर साह, वरीय उप समाहर्त्ता, रोहतास, वरीय प्रभारी पदा0, अकोढ़ी गोला प्रखंड	9470428956
		2. श्री ललन प्रसाद, प्र0सहकारिता प्रसार पदा0, अकोढ़ी गोला (क्रय केन्द्र प्रभारी)	9801370012
		3 श्री भुदेव सिह, विषय वस्तु विशेषज्ञ	
		4. श्री हरिद्वार शर्मा, किसान सलाहकार	
		5. प्रधान लिपिक, प्रखंड कार्यालय, अकोढ़ी गोला	
		6. कार्यपालक सहायक	
		7. हेल्पर चार माह के लिए दैनिक वेतन पर	
26	तिलौथू	1. जिला योजना पदाधिकारी, रोहतास, वरीय प्रभारी पदा0, तिलौथू	
		2. श्री कृष्णदेव प्रसाद, प्र0कृषि पदाधिकारी, तिलौथू (क्रय केन्द्र प्रभारी)	
		3 श्री अरबिन्द कुमार, विषय वस्तु विशेषज्ञ	
		4. श्री रामलखन पासवान, किसान सलाहकार	
		5. प्रधान लिपिक, प्रखंड कार्यालय, तिलौथू	
		6. कार्यपालक सहायक	
		7. हेल्पर चार माह के लिए दैनिक वेतन पर	

क्र0	क्रय केन्द्र का नाम	सम्बद्ध पदाधिकारी एवं कर्मचारी का नाम	मोबाईल नं0
1	2	3	4
27	नौहट्टा	1. श्री राजेन्द्र दास, वरीय उप समाहर्त्ता, रोहतास, वरीय प्रभारी पदा0, नौहट्टा	9835481536
		2. श्री म्रिणाल कान्त चन्दा, प्र0 सांख्यिकी पर्यवेक्षक, नौहट्टा (क्रय केन्द्र प्रभारी)	
		3 श्री अमरकान्त कुमार, विषय वस्तु विशेषज्ञ	
		4. श्री अखिलेश कुमार भारती, किसान सलाहकार	
		5. प्रधान लिपिक, प्रखंड कार्यालय, नौहट्टा	
		6. कार्यपालक सहायक	
		7. हेल्पर चार माह के लिए दैनिक वेतन पर	

जिला पदाधिकारी,
रोहतास, सासाराम।

G:\2O12\arvind\Ravi Vipran 2012-13\dm order\kraya kendra

समाहरणालय रोहतास, सासाराम
(आपूर्ति प्रशाखा)
आदेश

1. मुख्य सचिव, बिहार, पटना के पत्र संख्या 2121, दिनांक 04.04.13 से रब्बी विपणन मौसम 2013–14 के अन्तर्गत गेहूँ अधिप्राप्ति कार्य के लिए कार्ययोजना एवं निदेश प्राप्त हुआ है। पत्र द्वारा रबी विपणन मौसम 2013–14 में गेहूँ के रिकार्ड उत्पादन की आशा को देखते हुए राज्य को 15 लाख मे0टन गेहूँ की अधिप्राप्ति (न्यूनतम समर्थन मूल्य) का लक्ष्य निर्धारित किया है। अधिप्राप्ति के लिए विशेष व्यवस्था करने का निदेश देते हुए अधिप्राप्ति के अभियान को निर्वाचन कार्य सदृश प्राथमिकता देने का निर्णय लिया गया। रब्बी विपणन मौसम 2013–14 के लिए भारत सरकार द्वारा गेहूँ के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य 1350/– रू0 प्रति क्वींटल निर्धारित किया गया। गेहूँ अधिप्राप्ति कार्यक्रम दिनांक 15.04.13 से 31.07.13 तक प्रभावी रहेगा।

अधिप्राप्ति कार्य हेतु राज्य खाद्य निगम को नोडल एजेन्सी नियुक्त किया गया है। किसानों से गेहूँ क्रय की कार्रवाई मुख्यतः पैक्सों के माध्यम से की जानी है। वैसी पंचायतें जहाँ के पैक्स किसी कारणवश अधिप्राप्ति हेतु सक्षम नहीं है वैसी पंचायतों के किसानों से सीधे राज्य खाद्य निगम अपने क्रय केन्द्र के माध्यम से गेहूँ का क्रय करेगा, जिसके लिए राज्य खाद्य निगम अलग से क्रय केन्द्र खोलेगा। किसानों को एकाउन्ट पेयी चेक के माध्यम से अनिवार्य रूप से क्रय के तुरंत बाद भुगतान किया जायेगा। पैक्सों द्वारा किसानों से खरीद किये गये गेहूँ को राज्य खाद्य निगम के क्रय केन्द्रों एवं राज्य खाद्य निगम द्वारा चिन्हित बेस डिपों पर पहुँचाया जायेगा। पैक्सों द्वारा क्रय किये गये गेहूँ का इन्फोरसमेंट निर्गत करने हेतु सभी अचलों के अंचलाधिकारियों को इन्फोरसमेंट पदाधिकारी के रूप में नामित किया जाता है।

2. लक्ष्य का निर्धारण

इस जिला के लिए गेहूँ अधिप्राप्ति का न्यूनतम लक्ष्य 100000 मे0टन निर्धारित किया गया है जिसका एजेन्सीवार लक्ष्य का निम्न रूपेण निर्धारित किया जाता है :–

1.	राज्य खाद्य निगम–	35000 मे0टन
2.	पैक्स–	65000 मे0टन
कुल		100000 मे0टन

जिला सहकारिता पदाधिकारी, रोहतास एवं जिला प्रबंधक, राज्य खाद्य निगम, रोहतास क्रमशः पैक्सों एवं राज्य खाद्य निगम के क्रय केन्द्रों का केन्द्रवार लक्ष्य अपने स्तर से निर्धारित करते हुए अधिप्राप्ति कार्य सम्पन्न करायेंगे।

3. गेहूँ क्रय केन्द्र पर किसानों से प्राप्त किये जानेवाले कागजात भूमि संबंधित दस्तावेज :–

- **भूमि संबंधी दस्तावेज**– अंचल पदाधिकारी द्वारा निर्गत भू–स्वामित्व प्रमाण पत्र/हाल का मालगुजारी रसीद/किसान क्रेडिट कार्ड– इनमें से कोई एक।

- मुख्य सचिव, बिहार, पटना के पत्र संख्या 8099, दिनांक 26.12.12 से अधिप्राप्ति कार्य हेतु क्रय केन्द्र पर किसानो से भू–लगान रसीद आदि प्राप्त करने संबंधी निम्न निदेश प्राप्त हुए है :–

(i) अद्यतन भू–लगान रसीद निर्गत नहीं होने अथवा भू–लगान रसीद के अद्यतन न रहने की स्थिति में इसके कारणों की समीक्षा एवं तत्सम्बन्धी On the Spot निर्णय लेने के लिए जिला समाहर्त्ता सक्षम होंगे।

(ii) जमीन के नामांतरण न होने की स्थिति में गेहूँ बेचने वाला किसान वास्तव में सही उतराधिकारी है या नहीं ? इस बिन्दु पर भी निर्णय लेने हेतु जिला समाहर्त्ता सक्षम होंगे।

- दहिन्दा के बिन्दु पर जिले में जन प्रतिनिधियों के साथ–साथ किसान प्रतिनिधियों द्वारा भी जिला प्रशासन के साथ सरकार के स्तर पर लगातार मांग की जा रही थी। वास्तविकता भी है कि जिले के अधिकांश किसान वैसे है, जिनका पूर्वजों के नाम पर जमाबंदी कायम है। ऐसे में अगर मात्र वैसे किसान जिनके अपने नाम पर रसीद है, उनसे हीं गेहूँ क्रय किया जाता है तो जिले के अधिसंख्यक किसान अधिप्राप्ति प्रक्रिया का लाभ नहीं उठा सकेंगे एवं स्पष्टतः सरकार का किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य उपलब्ध कराने का मूल उद्देश्य विफल हो जायेगा। इस बिन्दु पर दिनांक 16.01.2013 को विडियो कॉन्फेन्सिंग के क्रम में प्रधान सचिव, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार तथा मुख्य सचिव, महोदय द्वारा स्पष्ट निदेश दिया गया कि वैसे किसान जिनके पूर्वजों के नाम पर लगान रसीद है उन्हे भी अधिप्राप्ति प्रक्रिया में शामिल की जाय, ताकि अधिसंख्यक किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य उपलब्ध कराने के संबंध में सरकार का उद्देश्य पूर्ण हो तथा राज्य स्तर पर गेहूँ क्रय के लिए निर्धारित लक्ष्य को भी सुगमता पूर्वक प्राप्त किया जा सके।
- मुख्य सचिव महोदय के उक्त आदेश के आलोक में जिला अन्तर्गत सभी क्रय केन्द्र प्रभारियों को निदेश दिया जाता है कि वैसे किसान जिनके पूर्वजों के नाम पर लगान रसीद है, उन्हे भी अधिप्राप्ति प्रक्रिया में शामिल किया जाय। पूर्व में स्थापित प्रक्रिया के अनुरूप एसे किसान भी क्रय केन्द्रों पर नंबर लगायेंगे तदुपरान्त इनका अभिलेख क्रय केन्द्र प्रभारी द्वारा संबंधित अंचलाधिकारी को जॉच एवं सत्यापन हेतु भेजा जायेगा। अंचलाधिकारी संबंधित किसान के बंशावली तैयार कर लगान रसीद में अंकित नाम से उनका संबंध स्थापित/तय करेंग एव तदनुरूप उनका हिस्सा भी निर्धारित करेंगे। अंचल अधिकारी के उक्त सत्यापन के आधार पर क्रय केन्द्र प्रभारी द्वारा संबंधित किसान से गेहूँ क्रय किया जायेगा। उक्त आदेश पैक्सों पर भी समान रूप से लागू होगा। जिला सहकारिता पदाधिकारी को निदेश है कि अपने स्तर से सभी पैक्सों अध्यक्ष को इससे अवगत करा दें एवं तदनुरुप इसका दृढ अनुपालन सुनिश्चित करायेंगे। जिला आपूर्ति पदाधिकारी को निदेश है

कि इस संबंध में सभी क्रय केन्द्र प्रभारियों को अवगत कराते हुए आदेश का अक्षरशः अनुपालन सुनिश्चित करायेंगे।

- एक किसान मात्र एक ही जगह (पैक्स/राज्य खाद्य निगम के क्रय केन्द्र पर) गेहूँ बिक्री कर सकता है। वे इस संबंध में एक आवेदन पत्र दिनांक 30.04.13 तक निर्धारित प्रपत्र में संबंधित क्रय केन्द्र/पैक्स कार्यालय में समर्पित करेंगे, जिसकी प्राप्ति रसीद उन्हे दी जायेगी तथा उसी के अनुसार किसानों को पंजीबद्ध करते हुए उनके गेहूँ की खरीदारी क्रमवार की जायेगी। सभी प्रखंड के वरीय पदाधिकारी इसे सुनिश्चित करायेंगे। आवेदन पत्र के साथ किसान के परिचय पत्र की छाया प्रति एवं वर्ष 2012-13 की मूल भू-लगान रसीद समर्पित करनी होगी, जिसकी छाया प्रति रखते हुए उन्हे मूल रसीद बाद में वापस कर दी जायेगी। किसान के द्वारा पैक्स पर गेहूँ लाते समय तथा गेहूँ के मूल्य का भुगतान चेक द्वारा प्राप्त करते समय उनकी फोटोग्राफी की जायेगी। संबंधित प्रखंड के वरीय पदाधिकारी इसे सुनिश्चित करायेंगे। सभी क्रय केन्द्रों/पैक्सों पर जिला प्रबंधक, राज्य खाद्य निगम एवं जिला आपूर्ति पदाधिकारी के संयुक्त हस्ताक्षर से पृष्ठों का प्रमाण पत्र अंकित करते हुए पंजी उपलब्ध करायी जायेगी।

- पैक्सों द्वारा लिये गये गेहूँ का इन्फोर्समेन्ट सबंधित अंचल अधिकारी के द्वारा निर्गत किया जाता है, जिसमे उनके द्वारा प्रस्तुत भू-लगान रसीद का सत्यापन कराया जाता है, परंतु राज्य खाद्य निगम के क्रय केन्द्रों पर किसानों की भू-लगान रसीद का सत्यापन नहीं होता हैं। जिला पदाधिकारी द्वारा निदेश दिया जाता है कि जैसे ही किसानों द्वारा आवेदन पत्र समर्पित किया जाता है, उनका नाम पंजीबद्ध करने के बाद उनकी सूची संबंधित अंचलाधिकारी को भू-लगान की मूल प्रति के साथ भेजी जायेगी। अंचलाधिकारी लगान रसीद का सत्यापन कर मूल रसीद के एक भाग पर सत्यापन अंकित करेंगे तथा उसे अग्रसारण पत्र के साथ प्रतिदिन 4-5 की संख्या में संबंधित क्रय केन्द्र प्रभारी को भेजेंगे। क्रय केन्द्र प्रभारी रसीद की सत्यापित छाया प्रति रखते हुए मूल रसीद किसानों को वापस कर देंगे तथा प्रत्येक किसान के लिए एक अलग फोल्डर संधारित करेंगे, जिसमे सारे कागजातों को सुरक्षित रखेंगे।

4. क्रय केन्द्र का निर्धारण

इस जिले के सभी अधिकृत पैक्सों द्वारा किसानों से गेहूँ क्रय किया जायेगा। इसके अतिरिक्त राज्य खाद्य निगम के 24 क्रय केन्द्रों पर गेहूँ की अधिप्राप्ति की जायेगी। क्रय केन्द्रों तथा वहाँ प्रतिनियुक्त पदाधिकारी/कर्मियों की सूची आदेश के साथ संलग्न है। क्रय केन्द्र पर निम्नांकित तैयारी पूरी करने की व्यवस्था संबंधित पदाधिकारी सुनिश्चित करेंगे।

1. क्रय केन्द्र हेतु अनुमानित अधिप्राप्ति के आकलन के अनुरूप भंडारण की व्यवस्था।
2. माप तौल यंत्र की व्यवस्था।
3. Moisture meter की व्यवस्था।
4. पर्याप्त रोशनी / विद्युत की व्यवस्था।
5. पर्याप्त सुरक्षा की व्यवस्था।
6. विहित प्रक्रिया के अनुरूप रजिस्टरों का संधारण
7. भुगतान हेतु चेक बुक के साथ चेक निर्गत करने की व्यवस्था।
8. प्रतिदिन किये गये अधिप्राप्ति कार्यो हेतु निर्धारित प्रपत्र में संक्षिप्त विवरणी MS-Excel Kruti Dev-010 के माध्यम से प्रखंड कम्प्यूटर केन्द्र में भेजने की व्यवस्था।
9. पैक्स द्वारा स्थानीय क्रय केन्द्रों में किसानों की सूची तथा उनसे संबंधित दस्तावेजों (रसीद तथा फोटोयुक्त पहचान पत्र) का संधारण।
10. पैक्स द्वारा अभियान चलाकर मात्र अधिप्राप्ति हेतु अस्थायी सदस्यों का नामांकन।

5. राज्य खाद्य निगम के प्रत्येक क्रय केन्द्र पर संबंधित प्रखंड के वरीय प्रभारी पदाधिकारी, सहायक गोदाम प्रबंधक या पर्यवेक्षीय पदाधिकारी (अधिप्राप्ति प्रभारी),विषय वस्तु विशेषज्ञ, किसान सलाहकार, एक एकाउस्टेन्ट, कार्यपालक सहायक एवं एक हेल्पर की प्रतिनियुक्ति की गयी है। जिनका दायित्व निम्नरूपेण निर्धारित किया जाता है।

(i) **विषय वस्तु विशेषज्ञ** :– विषय वस्तु विशेषज्ञ का यह दायित्व होगा कि वे क्रय केन्द्र पर निरीक्षण करेंगे एवं प्रतिदिन कार्यपालक सहायक के साथ किसानों से क्रय किये गये गेहूँ का डाटा अद्यतन कर प्रतिवेदित करेंगे।

(ii) **किसान सलाहकार** :– किसान सलाहकार का यह दायित्व होगा कि क्रय केन्द्र पर अधिक से अधिक किसान जा कर अपने गेहूँ को बेचें इसके लिए वे उत्प्रेरक का काम करेंगे एवं इसका व्यापक प्रचार प्रसार किसानों के बीच बैठक कर सुनिश्चित करेंगे।

(iii) **कार्यपालक सहायक** :– कार्यपालक सहायक का यह दायित्व होगा कि वे क्रय केन्द्र पर खरीद किये गये गेहूँ का विवरण लेकर निर्धारित प्रपत्र में उसे संकलित कर Internet के माध्यम से विभाग एवं जिला मुख्यालय को E-mail करेंगे।

(iv) **लेखापाल** :– क्रय केन्द्र पर प्रतिनियुक्त क्रय केन्द्र प्रभारी एवं प्रखंड के लेखापाल क्रय किये गये गेहूँ का संयुक्त रूप से हस्ताक्षरित चेक निर्गत करेंगे।

(v) **क्रय केन्द्र प्रभारी** :– सभी क्रय केन्द्र प्रभारी क्रय केन्द्र पर उपलब्ध गोदाम की क्षमता के अनुसार किसानों एवं पैक्सों से गेहूँ क्रय करेंगे। सभी क्रय केन्द्र प्रभारी एक पंजी का संधारण करेंगे जिसमें किस

तिथि को किसान/पैक्स का गेहूँ क्रय करेंगे किसानों द्वारा लगाये गये नबर से क्रमानुसार उसका विवरण अग्रिम रूप में हर हाल में संधारित करेंगे। साथ ही किसी भी परिस्थिति में बिना इन्फोर्समेन्ट आदेश के गेहूँ क्रय नहीं करेंगे। प्रत्येक दिन क्रय किये गये गेहूँ की मात्रा संबंधी प्रतिवेदन अपने-अपने अनुमंडल के अनुमंडल पदाधिकारी, जिला प्रबंधक, राज्य खाद्य निगम तथा जिला आपूर्ति पदाधिकारी, रोहतास, सासाराम को संध्या 06.00 बजे तक अनिवार्य रूप से उपलब्ध करायेंगे। इसके अतिरिक्त कार्यालय आदेश ज्ञाप संख्या 205/आ0, दिनांक 07.02.13 से निर्गत निदेशों का अनुपालन करते हुए निर्बाध रूप से प्रतिदिन M.I.S Entry सुनिश्चित करायेंगे। क्रय केन्द्र प्रभारी का यह भी दायित्व होगा कि वे अधिप्राप्त किये गये गेहूँ के प्रत्येक बोरे पर गेहूँ अधिप्राप्ति वर्ष 2013-14 एवं क्रय केन्द्र का नाम अंकित कराना सुनिश्चित करेंगे।

(vi) **अंचल अधिकारी** :- जिले के सभी अंचलाधिकारियों को गेहूँ अधिप्राप्ति के लिए इन्फोर्समेन्ट पदाधिकारी नामित किया गया है। अंचलाधिकारी इन्फोर्समेन्ट निर्गत करने से पूर्व सभी आवश्यक कागजात यथा किसानों की सूची, मुहरित भू-लगान रसीद, किसानों का पहचान पत्र, किसानों का निर्गत चेक की छाया प्रति एवं अधिप्राप्ति कार्य हेतु पैक्स/प्रबंधक द्वारा निर्गत प्रमाण पत्र तथा वंशावली की जॉच करेंगे। इसके लिए वे अपने सबंधित राजस्व कर्मचारी/पदाधिकारी से सत्यापन करा सकते है। ध्यान रहे कि अंचलाधिकारी किसानों का **शत-प्रतिशत सत्यापन** कर एव संतुष्ट होकर ही इन्फोर्समेन्ट निर्गत करेंगे। इसमें किसी प्रकार की लापरवाही एवं अनियमितता के लिए व्यक्तिगत तौर पर वे जिम्मेवार होंगे।

(vii) **प्रखंड के वरीय पदाधिकारी/वरीय उप समाहर्त्ता** :- राज्य खाद्य निगम के प्रत्येक क्रय केन्द्र पर वरीय प्रभारी पदाधिकारी की प्रतिनियुक्ति की गयी है। सभी वरीय पदाधिकारी अपने प्रखंड में गेहूँ अधिप्राप्ति हेतु जिम्मेवार होंगे। सभी वरीय पदाधिकारियों का दायित्व होगा कि प्रत्येक क्रय केन्द्र पर यथा राज्य खाद्य निगम एवं पैक्स के क्रय केन्द्रों पर प्रत्येक सप्ताह गेहूँ बेचने वाले कम से कम 25 किसानों का निश्चित रूप से भौतिक सत्यापन क्षेत्र में जाकर करेंगे। इसमें किसी भी प्रकार की अनियमितता पाने पर तत्काल इसकी सूचना अधोहस्ताक्षरी को देंगे। प्रखंड स्तर पर गेहूँ की सही एवं लक्ष्य प्राप्ति की ज़िम्मेवारी वरीय प्रभारी पदाधिकारी की होगी। वरीय प्रभारी पदाधिकारी साप्ताहिक प्रतिवेदन अनिवार्य रूप से अधोहस्ताक्षरी को उपलब्ध करायेंगे तथा यह भी सुनिश्चित करेंगे कि उनके केन्द्र से दैनिक प्रतिवेदन अनिवार्यतः जिला आपूर्ति शाखा में प्राप्त हो। वरीय पदाधिकारी सप्ताहिक रूप से गेहूँ का स्थानीय बाजार मूल्य स्वयं जॉच कर आपूर्ति शाखा को उपलब्ध करायेंगे तथा प्रतिदिन M.I.S Entry सुनिश्चित करायेंगे।

(viii) **अनुमंडल पदाधिकारी** :- सभी अनुमंडल पदाधिकारी अपने अनुमंडल अन्तर्गत गेहूँ अधिप्राप्ति कार्य पर सतत् निगरानी रखेंगे, जिसके लिए अनुमडल स्तर पर एक नियंत्रण कक्ष गठित कर एक कर्मी की प्रतिनियुक्ति करेंगे। प्रत्येक अनुमंडल पदाधिकारी का दायित्व होगा कि वे सप्ताह में कम से कम दो राज्य खाद्य निगम के क्रय केन्द्रों एवं पैक्स के दो कन्द्रों तथा उन पर गेहूँ बेचने वाले कम से कम 10-10 किसानों

(अर्थात न्यूनतम 20 किसानों) का भौतिक सत्यापन निश्चित रूप से करेंगे, जिसका जॉच प्रतिवेदन प्रत्येक बुधवार एवं शनिवार को अधोहस्ताक्षरी को समर्पित करेंगे। सभी अनुमंडल पदाधिकारी सप्ताहिक रूप से गेहूँ का स्थानीय बाजार मूल्य स्वयं जॉच कर आपूर्ति शाखा को उपलब्ध करायेंगे तथा प्रतिदिन M.I.S Entry सुनिश्चित करायेंगे।

(ix) **जिला प्रबंधक, राज्य खाद्य निगम** :– इस वर्ष गेहूँ अधिप्राप्ति हेतु राज्य खाद्य निगम को नोडल एजेन्सी नियुक्त किया गया है। जिला प्रबंधक, राज्य खाद्य निगम का दायित्व होगा कि वे प्रत्येक दिन कम से कम 04 क्रय केन्द्रों का निरीक्षण करें। वे क्रय केन्द्र पर पैक्स एवं किसानों से सीधे क्रय किये गये गेहूँ की मात्रा, क्रय केन्द्र पर उपलब्ध गोदाम में खाद्यान्न की मात्रा एवं परिवहन की स्थिति इत्यादि का अपने जॉच प्रतिवेदन में उल्लेख करेंगे। उपर्युक्त दिशा निर्देश केवल जॉच हेतु दिये जा रहे है। यहॉ यह स्पष्ट करना आवश्यक है कि **जिला प्रबंधक, राज्य खाद्य निगम अपने सभी क्रय केन्द्रों पर गेहूँ की सही अधिप्राप्ति हेतु सीधे तौर पर जिम्मेवार होंगे**। उनका यह भी कर्त्तव्य होगा कि वे प्रत्येक दिन अपने सभी क्रय केन्द्र प्रभारियों से सम्पर्क कर गेहूँ अधिप्राप्ति की समीक्षा करेंगे तथा किसी भी अड़चन/बाधा को तत्काल दूर करेंगे तथा यदि अनियमितता पायी जाती है तो अनियमितता के लिए दोषी पदाधिकारी/कर्मचारी चिन्हित कर समुचित कार्रवाई करेंगे। उपर्युक्त निरीक्षण के अतिरिक्त वे अपने स्वविवेक से सम्यक निरीक्षण एवं समीक्षा आदि करेंगे तथा यह सुनिश्चित करेंगे कि हर हालत में गेहूँ की अधिप्राप्ति सही तरीके से एवं वास्तविक किसानों से ही हो। साथ ही वे यह भी सुनिश्चित करेंगे कि प्रतिदिन की अधिप्राप्ति का प्रतिवेदन नियमित रूप से जिला आपूर्ति कार्यालय में स्थित नियंत्रण कक्ष में भेज दिया जाय।

(x) **जिला सहकारिता पदाधिकारी/सहायक निबंधक सहयोग समितियॉ** :– जिला सहकारिता पदाधिकारी तथा सहायक निबंधक सहयोग समितियाँ का यह दायित्व होगा कि वे प्रत्येक दिन कम से कम दो पैक्सों का निरीक्षण करेंगे। वे किसानों से क्रय की गयी गेहूँ की मात्रा एवं राज्य खाद्य निगम को आपूर्ति की गयी गेहूँ की मात्रा तथा किसानों के भुगतान की स्थिति का निश्चित रूप से उल्लेख करेंगे। उपर्युक्त निदेश केवल निरीक्षण के उदेश्य से दिये जा रहे है, परंतु इसके अतिरिक्त जिला सहकारिता पदाधिकारी पैक्सों द्वारा अधिप्राप्त किये जा रहे गेहूँ के क्रय में किसी प्रकार की अनियमितता के लिए व्यक्तिगत रूप से जिम्मेवार होंगे। उनका यह दायित्व होगा कि वे जिले के सभी पैक्सों की अधिप्राप्ति प्रक्रिया की नियमित समीक्षा करें तथा जिला प्रबंधक, राज्य खाद्य निगम एवं जिला आपूर्ति पदाधिकारी से समन्वय स्थापित कर पैक्सों के समक्ष आने वाली समस्याओं का समाधान करायें। वे पैक्सों द्वारा किसानों से सीधे किये जा रहे गेहूँ क्रय पर सतत निगरानी रखेंगे तथा हर हालत में विभागीय निदेशों के अनुरूप सही अधिप्राप्ति सुनिश्चित करायेंगे। वे यह भी सुनिश्चित करायेंगे कि पैक्स द्वारा किसानों को एकाउन्ट पेयी चेक के माध्यम से तत्काल भुगतान कर दिया जाय।

(xi) जिला आपूर्ति पदाधिकारी :– जिला आपूर्ति पदाधिकारी गेहूँ अधिप्राप्ति हेतु नोडल पदाधिकारी के रूप में कार्य करेंगे। वे अपने कार्यालय कक्ष में नियंत्रण कक्ष को संचालित रखेंगे, जिसका दूरभाष संख्या 222016 है। वे नियंत्रण कक्ष में एक कर्मी की प्रतिनियुक्ति सुनिश्चित करेंगे। उनका यह दायित्व होगा कि विभाग से प्राप्त दिशा–निर्देशों को सभी संबंधित एजेन्सी / पदाधिकारी को अवगत करायेंगे तथा सभी अनुमंडल पदाधिकारी / प्रखंडों के वरीय पदाधिकारी से प्राप्त प्रतिवेदनों को प्रखंडवार अलग–अलग संचिका में संधारित करेंगे तथा प्रतिवेदन से अधोहस्ताक्षरी को प्रतिदिन अवगत करायेंगे। जिला आपूर्ति पदाधिकारी नियमित रूप से क्रय केन्द्र का भ्रमण कर स्वयं जॉच करेंगे साथ ही जिला आपूर्ति पदाधिकारी अधिप्राप्ति कार्य में संलग्न पैक्सों एवं जिला प्रबंधक, राज्य खाद्य निगम से प्रतिदिन प्रतिवेदन प्राप्त करेंगे तथा विभागीय निर्धारित प्रपत्र में प्रतिवेदन तैयार कर विभाग को भेजना सुनिश्चित करेंगे। इसके अतिरिक्त वे पूरे जिले में चल रही गेहूँ अधिप्राप्ति प्रक्रिया पर सतत् निगरानी रखेंगे तथा पैक्स प्रबंधकों, जिला सहकारिता पदाधिकारी, गोदाम प्रभारी, जिला प्रबंधक, राज्य खाद्य निगम, एम0डी0 सासाराम भभुआ सेन्ट्रल को ऑपरेटिव बैंक तथा अन्य संबंधित पर्यवेक्षकीय से निरन्तर सम्पर्क बनाये रखेंगे तथा सभी एजेन्सियों से समन्वय बनाते हुए गेहूँ अधिप्राप्ति सुनिश्चित करायेंगे तथा यह भी सुनिश्चित करायेंगे कि निर्धारित लक्ष्य के अनुरूप गेहूँ की अधिप्राप्ति उचित ढंग एवं तीव्रगति से हो, ताकि जिले द्वारा निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त किया जा सके। यदि उनके द्वारा किसी तरह की समस्या पायी जाती है तो वे तत्काल अधोहस्ताक्षरी को अवगत करायेंगे ताकि ससमय समस्या को दूर किया जा सके। इसके अतिरिक्त वे समय–समय पर निर्गत अन्य विभागीय निर्देशों को दृढ़ता पूर्वक अनुपालन सुनिश्चित करायेंगे तथा सप्ताहिक रूप से गेहूँ का स्थानीय बाजार मूल्य का तथा M.I.S Entry का अनुश्रवण सुनिश्चित करेंगे।

(xii) उप विकास आयुक्त :– जिला स्तर पर गेहूँ अधिप्राप्ति कार्य के गहन अनुश्रवण, पर्यवेक्षण एवं निरीक्षण हेतु **उप विकास आयुक्त, रोहतास** को जिले का वरीय प्रभारी प्रतिनियुक्त किया जाता है।

6. अवकाश पर प्रतिबंध :– अधिप्राप्ति की अवधि में इस कार्य में लगे पदाधिकारियों एवं कर्मचारियों को अवकाश स्वीकृत नहीं किया जायेगा। अत्यन्त आवश्यक होने पर अधोहस्ताक्षरी से पूर्वानुमति प्राप्त कर ही अवकाश पर प्रस्थान किया जा सकेगा।

सभी संबंधित पदाधिकारियों / कर्मियों को मुख्य सचिव, बिहार, पटना का पत्र संख्या 2121, दिनांक 04.04.13 की छाया प्रति संलग्न करते हुए आदेश दिया जाता है कि अविलम्ब संलग्न सूची में क्रय केन्द्रों पर गेहूँ की अधिप्राप्ति कार्य प्रारंभ कराना सुनिश्चित करेंगे। **चूँकि सरकार का यह महत्वाकांक्षी कार्यक्रम है एवं राज्य सरकार गेहूँ अधिप्राप्ति कार्यक्रम को सघन अभियान के रूप में संचालित करने तथा किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य उपलब्ध कराने हेतु संकल्पित है अतः इसे सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाय**

एवं ऐसी व्यवस्था की जाय कि जिले के सभी किसानों को बिना किसी कठिनाई के न्यूनतम समर्थन मूल्य का लाभ क्रय के तुरंत बाद मिल सके एवं उन्हे अपने अनाज की आलात बिक्री (**distress sale**) की स्थिति का सामना नहीं करना पड़े। इसमें किसी भी स्तर पर कोई भी लापरवाही एवं शिथिलता को गंभीरता से लिया जायेगा। साथ ही यह भी सुनिचित करना है कि सही किसानों से ही गेहूँ खरीदे न कि किसी अन्य विचौलियों/मध्यवर्ती से।

जिला आपूर्ति पदाधिकारी
रोहतास (सासाराम)

जिला पदाधिकारी,
रोहतास, सासाराम।

ज्ञापांक 05 (प्र)/आ0, दिनांक 11/4/13

प्रतिलिपि :– क्षेत्र प्रबंधक, भारतीय खाद्य निगम, गया/जिला प्रबंधक, राज्य खाद्य निगम, रोहतास/जिला सहकारिता पदाधिकारी, रोहतास/जिला कृषि पदाधिकारी, रोहतास को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– उप विकास आयुक्त, रोहतास/अनुमंडल पदाधिकारी, सासाराम/बिक्रमगंज/डिहरी/सभी प्रखंडों के वरीय प्रभारी पदाधिकारी........................./सभी अंचलाधिकारी........................ को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि :– प्रतिनियुक्त सभी सहायक गोदाम प्रबंधक/पर्यवेक्षी पदाधिकारी/विषय वस्तु विशेषज्ञ/किसान सलाहकार/प्रधान लिपिक/कार्यपालक सहायक को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

जिला पदाधिकारी,
रोहतास, सासाराम।

ज्ञापांक 05 (प्र)/आ0, दिनांक 11/4/13

प्रतिलिपि :– मुख्य सचिव, बिहार, पटना को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– प्रधान सचिव, खाद्य एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग, बिहार, पटना को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– प्रधान सचिव, सहकारिता विभाग, बिहार, पटना को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपि :– महाप्रबंधक, राज्य खाद्य निगम, बिहार, पटना को सादर सूचनार्थ प्रेषित।

जिला पदाधिकारी,
रोहतास, सासाराम।